

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2015/पौष 15, 1936

No. 35]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2015/PAUSHA 15, 1936

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014

का.आ. 40(अ).—हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 15 के साथ पठित धारा 3, 4, 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 6 मई, 2016 तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (ii) के अंतर्गत एतद्वारा भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में श्री सैय्यद फारूक सैय्यद करीम का नामांकन करती है; और इस प्रयोजनार्थ विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6 मई, 2013 के का.आ. सं. 1165(अ) की अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(6) श्री सैय्यद फारूक सैय्यद करीम, सदस्य"
ईनामदारपुरा, वार्ड सं. 11
दर्भा, तालुका- दर्भा, जिला- यावतमल
महाराष्ट्र, पिन-445 202
मोबाईल सं. 9326916222, 9921723101
महाराष्ट्र राज्य हज समिति द्वारा चयनित

[फा. सं. एम./हज/1183/60/2012]

अजित गुप्ते, संयुक्त सचिव (हज)

टिप्पणी: भारत की हज समिति में सदस्यों की नियुक्ति हेतु मुख्य अधिसूचना 6 मई, 2013 को का.आ. सं. 1165(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात दिनांक 5 जून, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 1453(अ) एवं का.आ. सं. 1454(अ) के तहत इसे संशोधित किया गया। दिनांक 24 नवंबर, 2014 को अधिसूचना सं. का.आ. सं. 2957(अ) के द्वारा इसमें आगे संशोधन किया गया।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2014

S.O. 40(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 6 read with Section 15 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002), the Central Government, on the basis of nomination received from the Maharashtra State Haj Committee, hereby nominates Shri Syed Farooq Syed Karim as a member of the Haj Committee of India under sub-section (ii) of Section 4 of the said Act, for a period up to 6th May 2016 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette; and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs, number S.O. 1165(E), dated 6th May, 2013, namely:—

In the said notification, for serial number (6) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“(6) Shri Syed Farooq Syed Karim, Inamdar Pura, Ward No.11, Darvha, Tq.-Darvha, District-Yavatmal, Maharashtra, Pin-445 202 Mobile No.-9326916222, 9921723101 Elected by the Maharashtra State Haj Committee	Member”
---	---------

[F. No. M(Haj)-1183/60/2012]

AJIT GUPTE, Jt. Secy. (Haj)

Note : The principal notification for appointing the members to the Haj Committee of India was published in Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1165(E), dated the 6th May, 2013 and subsequently was amended *vide* notification numbers S.O.1453(E) and S.O. 1454(E) dated the 5th June, 2013. Further amended *vide* notification number S.O. 2957(E) dated the 24th November, 2014.